

माप तोल विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 जून, 2015

सं.फा. 7(63)/डब्ल्यू.एण्ड एम./प्रशासन/2011/1092-1102.—विधिक माप अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 14 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 2 (क्यू) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिये बाट एवं माप के नियन्त्रक श्री पी.के. पांडा को विधिक माप पद्धति का नियन्त्रक नियुक्त करते हैं ।

श्री अमरनाथ आर. तलवाड़े की नियंत्रक विधिक माप पद्धति के रूप में नियुक्ति की पूर्व अधिसूचना सं. फा. 7(63)/एम. डब्ल्यू.एम./2000/1142-52 दिनांक 30.08.2013 को रद्द करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के  
आदेश, तथा उनके नाम पर,  
विजय कुमार, सचिव (विधिक माप पद्धति)

DEPARTMENT OF WEIGHTS AND MEASURES

NOTIFICATION

Delhi, the 18th June, 2015

No. F. 7(63)/W&M/Admn./2011/1092-1102.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 14 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and read with section 2(q) of the said Act, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints **Sh. P.K. Panda as Controller (Weights & Measures)** to be the Controller of Legal Metrology for the purpose of the said Act, for the National Capital Territory of Delhi.

The Government's earlier Notification No.7(63)/MWM/2000/1142-52 dated 30-08-2013 appointing of Sh. A.R. Talwade as Controller of Legal Metrology is hereby cancelled.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of National Capital Territory of Delhi,  
VIJAY KUMAR, Secy. (Legal Metrology)